

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

C.E. (Procurement)  
M.P.P.T.C.L., Jabalpur  
R. No. 7955  
Date 1.5.16

क्रमांक 04-04/पैनल-9/905

जबलपुर, दिनांक 14-06-2013

आदेश

निम्नलिखित वरिष्ठ परीक्षण सहायक (संचार) को पदोन्नत करते हुए वेतन संवर्ग ई-7 सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 4100/- प्रतिमाह में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से परीक्षण पर्यवेक्षक (संचार) के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

सरल क्र०	कर्मचारी क्रमांक	नाम	वर्तमान पद स्थापना	कार्यालय जहाँ पदस्थ किया
1	84443686	ए.के.पाठक	संचार संभाग जबलपुर	संचार संभाग जबलपुर
2	84443314	अरुण कु०गुप्ता	संचार संभाग जबलपुर	संचार संभाग जबलपुर
3	91539385	दिवाकर केकतपुरे	संचार संभाग जबलपुर	संचार संभाग जबलपुर
4	84443280	आर के गुप्ता	संचार संभाग जबलपुर	संचार संभाग जबलपुर
5	85424395	एन देशमुख	संचार संभाग जबलपुर	संचार संभाग जबलपुर
6	84443918	आर के मालवीया	संचार संभाग जबलपुर	संचार संभाग जबलपुर
7	88399199	राजेश शर्मा	संचार संभाग इंदौर	संचार संभाग इंदौर
8	89444266	अशोक कु० सोनी	कार्यपालन अभियंता (संचार) कार्यालय अधी० अभि०(परी०संचार) सागर	कार्यपालन अभियंता (संचार) कार्यालय अधी० अभि०(परी०संचार) सागर

1. मण्डल के परिपत्र क्रमांक 01-05/58, दिनांक 29.4.89 सहपठित परिपत्र क्रमांक 01-05/1/93, दिनांक 18.7.89, क्रमांक 01-05/1/254/73 दिनांक 21.4.90, क्रमांक 01-13/1 दिनांक 9.1.95 एवं क्रमांक 01-13/3422/19 दिनांक 1.7.05 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उक्त नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी।

2. म. प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (1994 का क्रमांक-21) में निहित प्रावधानों एवं म. प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 तथा तत्संबंध में प्रावधानित उक्त अधिनियम एवं नियमों के संबंध में म. प्र. शासन द्वारा जारी निर्देश जो कि मण्डल द्वारा परिपत्र क्रमांक 01-13/ 3434/1 दिनांक 5.1.2006 एवं परिपत्र क्रमांक 01-13/3434/5 दिनांक 20.2.2006 से ग्राह्य किया गया है, का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों को संज्ञान में लिया गया है।

मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)  
म०प्र०पॉ०ट्रा०कं०लि०, जबलपुर

क्रमांक 04-04/पैनल-9/906

जबलपुर, दिनांक 14-06-2013

प्रतिलिपि :

1. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफैयर्स एवं आई टी) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर
2. अधीक्षण यंत्री (परीक्षण एवं संचार) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर/इंदौर/सागर
3. कार्यपालन यंत्री (संचार)संभाग म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर/इंदौर
4. कार्यपालन यंत्री (बेबमास्टर) कार्यालय मुख्य अभियंता (टी एंड पी)म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि.,जबलपुर
5. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म0प्र0पॉ0मे0कं0लि0जबलपुर।
6. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर/इंदौर।
7. निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक , म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
8. निज सचिव कार्यालय निदेशक (तकनीकी) , म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
9. श्री ..... परीक्षण पर्यवेक्षक (संचार) द्वारा - अधीक्षण यंत्री (परीक्षण एवं संचार) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर/इंदौर/सागर।
10. आदेश फाइल।

- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. उपरोक्त पदोन्नत परीक्षण पर्यवेक्षक (संचार) द्वारा पदस्थापना स्थल पर इस पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण किया जावे, अन्यथा पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जाकर उन्हें प्रदत्त उच्च वेतनमान का लाभ उनके द्वारा दिये गये घोषणा-पत्र के आधार पर वापिस ले लिया जावेगा।
3. संबंधित परीक्षण पर्यवेक्षक (संचार). को आदेश अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/कारण बताओ सूचनापत्र/आरोप पत्र/ (सिविल/आपराधिक) न्यायालयीन प्रकरण/लोकायुक्त प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं हैं एवं वे किसी भी प्रकार की दण्डावधि में नहीं हैं। अन्यथा उक्त आदेश सम्पूर्ण विवरण व अभिलेखों की छायाप्रति सहित इस कार्यालय को आवश्यक आगामी कार्यवाही हेतु वापिस किये जावें।
4. वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संबंधित कार्यालयों को अविलंब अवगत करावें।

अधीक्षण अभियंता

कार्यालय मुख्य अभियंता(परी0संचार)

म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0 जबलपुर